(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALIERO): (a) Yes, Sir.

(b) Government have permitted Non-Resident Indians' investment in Canshare and Canstock on non-repatriable basis.

सूखा प्रभावित राज्यों के लिये केन्द्रीय सहायता

@728. **श्री भीर्जा इर्शादबेग :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा प्रभावित राज्यों को कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता/सहायता अनुदान किन-किन शर्तों पर प्रदान की गई;

(ख) क्या इन राज्यों को केन्द्रीय सहायता के भुगतान से इन राज्यों की अर्थ-व्यवस्था में सुधार आने की सम्भावना है, और यदि हां, तो इस खर्च को किस प्रकार पूरा किया जायेगा; और

(ग) इस संबंध में राज्यों की क्या-क्या मांगें हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) वर्ष 1987–88 के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों को 1113.55 करोड़ रुपये की अग्रिम योजनागत सहायता तथा 74.96 करोड़ रुपये की सीमान्त राशि प्रदान की गयी है। जहां तक प्रदान की गई सहायता की शर्तों का संबंध है विवरण–I संलग्न है। (नीचे देखिये)

(ख) केन्द्रीय सहायता सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में चालू सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए, नगर जल-आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने/उनके कार्य में तेजी लाने तथा ऐसे लाभ कर उत्पादी रोजगार के लिए प्रदान की गयी है, जो भविष्य में इस प्रकार के व्यय की आवश्यकता को दूर करेगी चुनिन्दा सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए किये जा रहे अतिरिक्त व्यय सिंचाई की क्षमता और पोषणिक अनुपूर्ति को बढ़ाएगा तथा कृषि पैदावार बढ़ेगी। सूखा सहायता पोषणिक अनुपूर्ति, स्वास्थ्य उपायों, पशुओं के लिए चारा, बीज सहायता आदि के लिए भी प्रदान की गयी है जिससे सूखे की परिस्थितियों के बावजूद भी उत्पादन क्षमता का परिरक्षण और पोषण होगा।

सूखा राहत पर किया गया व्यय अतिरिक्त संसाधन जुटाकर तथा व्यय में किफायत करके केन्द्र तथा राज्यों के राजस्व से पूरा किया जा रहा है।

(ग) विवरण–II संलग्न है।

विवरण–I

सूखे के मामले में राज्य सरकार द्वारा अपने सीमान्त धन से अधिक तथा संबंधित वर्ष के लिए अपने वार्षिक योजनागत परिव्यय के 5% तक किया गया व्यय, उस वर्ष में योजनागत परिव्यय से अतिरिक्त माना जाता है और इसे अग्रिम योजनागत सहायता में शामिल किया जाता है। अग्रिम योजना सहायता विशेष श्रेणी के राज्यों को 10% ऋण तथा 90% अनुदान के रूप में और गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों को 70% ऋण तथा 30% अनुदान के रूप में दी जाती है। यह अग्रिम योजनागत सहायता सूखे की समाप्ति के पश्चात् अगले पांच वर्षों के अन्दर राज्य की योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के प्रति समायोजित की जाती है। जहां पर ऐसा व्यय वार्षिक योजनागत परिव्यय से 5% से अधिक होता है, इसे विपदा की असाधारण प्रचण्डता के रूप में लिया जाता है तथा अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 423, 28 अप्रैल, 1988 से स्थानांतरित।

केन्द्रीय सहायता आधी अनुदान के रूप में तथा आधी ऋण के रूप में दी जाती है और आगामी वर्षों के लिए योजनागत सहायता के प्रति समायोज्य न हो।

विवरण–II

वर्ष 1987–88 के दौरान सूखा–राहत के लिये राज्यों द्वारा मांगी गई केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रुपयों में)

राज्य	मांगी गई सहायता
1. आन्ध्र प्रदेश	787.25
2. गुजरात	1551.85
3. हरियाणा	489.37
4. हिमाचल प्रदेश	274.64
5. जम्मू व कश्मीर	169.06
6. कर्नाटक	256.68
7. केरल	887.09
8. मध्य प्रदेश	655.32
9. महाराष्ट्र	647.72
10. नागालैण्ड	22.20
11. उड़ीसा	176.13
12. पजाब	505.05
13. राजस्थान	2396.38
14. तमिलनाडु	401.16
15. उत्तर प्रदेश	1314.11
जोड़ ;	10534.01

Garments export quota policy

729. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) what is Government's assessment of the working of the new Open Tender System (OTS) under Government export quota policy and whether the System has worked to the advantage of all interests concerned; and

(b) what is the number of pieces which were sold under OTS at Premiums below Rs. 5|-, between Rs. 5|- to Rs. 10|-, between Rs. 10|- to Rs. 15|-, between Rs. 15|- to Rs. 20|-, between Rs. 20|- to Rs. 30|-, between Rs. 30|- to Rs. 40|-, between Rs. 40|- to Rs. 50|-, between Rs. 50|- to Rs. 75|- and above Rs. 75|- along with the number of exporter buyers in each such price category in respect of first period of 1988 for each superfast quota category in each EEC country (woven and knitted separately)?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) As per the present indications, the Open Tender System (OTS) under the Garment Entitlement Distribution Policy appears to be working well.

(b) A statement is annexed. *(See* Appendix CXLVI, Annexure No. 35]

Garments export quota policy

730. SHRI SHANKER SINH VAGHELA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government's new Open Tender System under garments export quota policy has been successful in raising several crores of rupees from quota premium; if so, what are the details thereof; and

(b) what is the number of pieces which were sold under OTS at premiums below Rs. 5|-, between Rs. 5|- to Rs. 10|-, between Rs. 10|- to Rs. 15|-, between Rs. 15|- to Rs. 20|-, between Rs. 20|- to Rs. 30|-, between Rs. 30|- to Rs. 40|-, between Rs. 40|- to Rs. 50|-, between Rs. 50|- to Rs. 75|-, and above Rs. 75|- along with the number of exporter buyers in each such price category in respect of first period of 1988 for each superfast quota category in USA, Canada and Sweden (woven and knitted separately)?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI RAM NIWAS MIRDHA): (a) A sum of Rs. 12.02 crores has been collected under Open Tender System (OTS) for the first period of 1988.

(b) A statement is annexed. *(See* Appendix CXLVI, Annexure No. 36)